तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/4478/2005/भीलवाड़ा** **सरकार बनाम कालू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

_____

आदेश **दिनांक :5.10.2020**

यह रेफरेंस राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2001 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2002 की अभिशंषा में पेश किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है तहसीलदार, कोटड़ी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रैफरेंस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि राजस्व ग्राम पारोली में जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में खसरा नं0 3558 रकबा 0–10, 3562/1 रकबा 0–15, 3557 रकबा 0–06 श्री शीतला माताजी स्थान देह शिकमी दर्ज होकर हरदेव पि0 गोकल, सुखा पि0 नन्दा कुम्कार का नाम बतौर शिकमी दर्ज था। नवीन बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 2279 रकबा 0–14, 2283 रकबा 1–08 व 2287 रकबा 0–09 किशन पि0 सुखा कुम्हार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलेखित है। साबिक रेकार्ड से स्पष्ट है कि यह भूमि मन्दिर की खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी तथा पक्षकार बतौर शिकमी दर्ज रेकार्ड था। मन्दिर/मूर्ति को सदैव के लिए अप्राप्तवय माना माना गया है। अतः किसी भी कानून के अन्तर्गत मन्दिर/मूर्ति का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण/परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज विधि के विपरीत होकर अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः विपक्षीगण के नाम दर्जशुदा भूमि को हटायी जाकर श्री शीतला माता जी स्थान पारोली के नाम दर्ज की जावें। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। इसलिए मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता है। अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अवैद्य रूप से अंकित की गयी प्रविष्ठि/नामान्तकरण विधि एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है जिसे हटा कर वापिस खातेदारी श्री शीतला माता जी स्थान पारोली के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/4478/2005/भीलवाड़ा** **सरकार बनाम कालू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। इसलिए विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 25-02-2002 के द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। इस न्यायालय द्वारा रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये परन्तु बावजूद सूचना वे अनुपस्थित रहे। 4. रेफरेंस पर उप-राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 5. योग्य उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि श्री शीतला माता जी स्थान पारोली के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नही किया जा सकता है। तत्कालीन समय में हल्का पटवारी द्वारा मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में अभिलिखत किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार तत्कालीन समय में हल्का पटवारी व भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया उसे हटाया जाना आवश्यक है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। अतः हाल आराजी से विपक्षी के नाम को हटाया जाकर पुनः श्री शीतला माता जी स्थान पारोली के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावें। 6. मैने योग्य उप-राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7. पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में खसरा नं0 3558 रकबा 0-10, 3562/1 रकबा 0-15, 3557 रकबा 0-06 श्री शीतला माताजी स्थान देह शिकमी दर्ज होकर हरदेव पि0 गोकल, सुखा पि0 नन्दा कुम्कार का नाम बतौर शिकमी दर्ज था। नवीन बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 2279 रकबा 0-14 है0, 2283 रकबा 1-08 व 2287 रकबा 0-09 किशन पि0 सुखा कुम्हार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलेखित है। साबिक रेकार्ड से स्पष्ट है कि यह भूमि मन्दिर की खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी तथा पक्षकार बतौर शिकमी दर्ज रेकार्ड था। मन्दिर/मूर्ति को सदैव के लिए अप्राप्तवय माना माना गया है। अतः किसी भी कानून के अन्तर्गत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस/एल.आर/4478/2005/भीलवाड़ा</u>** **सरकार बनाम कालू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मन्दिर/मूर्ति का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरण/परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः बन्दोबस्त विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज विधि के विपरीत होकर अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत मंदिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मन्दिर/मूर्ति की भूमि को व्यक्ति विशेष के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इन्द्राजों को परिवर्तित कर निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः रैफरेंस **स्वीकार** करते हुए नामांतरकरण संख्या 3605 विवादित भूमि का निरस्त किया जाता है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 ग्राम पारोली के खसरा नंबर 2279 रकबा 0–14, 2283 रकबा 1–08 व 2287 रकबा 0–09 भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी हटाई जाकर वापिस **श्री शीतला माता जी स्थान पारोली** के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

9. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

10. पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य